अब एसडीएम ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

रतलाम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को कल तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नवभारत

नवभारत ५/१२/२१

कृषि भूमि पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए सांसद को दिया ज्ञापन

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नगर निगम क्षेत्र में कृषि भूमि पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए नगर के विभिन्न नागरिक व प्रॉपर्टी व्यवसायीयो ने सांसद गुमान सिंह डामोर से बिरियाखेड़ी में मिले तथा अपनी परेशानियां उनके सामने व्यक्त की। सांसद को दिए गए ज्ञापन में नागरिकों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा कृषि भूमि पर एक विस्वा से ऊपर टुकड़ों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जिससे रतलाम प्रॉपर्टी बाजार को बहुत क्षति हुई है तथा शहर के निवेशकों में भय का माहोल व्याप्त है। इससे रतलाम की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है तथा शासन को राजस्व की हानि हो रही है। रतलाम शहर सोने व प्रॉपर्टी के व्यवसाय में शुद्धता तथा ईमानदारी के लिए प्रदेश में जाना पहचाना जाता है।

ज्ञापन में कहा गया है कि निजी जमीन पर सीमांकन हेतु बनाई बाउंड्री वाल एवं पक्की सड़कों को बगैर उचित कारण के तोड़ा जा रहा है। जिससे प्रशासन को कोई लाभ नहीं हो रहा है। शासन के अनुसार निजी जमीन पर कोई भी निर्माण बिना अनुमति किया जाता है तो शासन द्वारा जुर्माना किया जाता है किंतु रतलाम शहर में जनता पर एफ आई आर दर्ज की जा रही है तथा नागरिक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

नागरिकों ने सांसद से निवेदन किया है कि गलत तरीके से की गई एफआईआर को निरस्त की जावे तथा प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई जावे। अगर किसी ने कोई गलती की है तो शासन के नियम के अनुसार कार्रवाई कर रास्ता निकाला जाए।

उक्त ज्ञापन नगर के विभिन्न प्रॉपर्टी व्यवसायो ने दिया है। ज्ञापन का वाचन ऋषभ जैन ने किया नगर के अनेकों प्रॉपर्टी व्यवसाई दौरान मौजूद थे। प्रसारण

प्रसारण 5/12/21

प्रापर्टी व्यवसायियों ने कृषि भूमि पर हो रही एकतरफा कार्रवाई का किया विरोध

सांसद को ज्ञापन में जिला प्रशासन व निगम की कार्रवाई से अवगत कराया

रतलाम। नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए नगर के विभिन्न नागरिकों व प्रापर्टी व्यवसायियों ने सांसद गुमानसिंह डामोर से विरियाखेड़ी में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा कृषि भूमि पर एक विस्वा से ऊपर टुकड़ों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। इससे रतलाम प्रापर्टी बाजार को बहुत क्षति हुई है तथा शहर के निवेशकों में भय का माहौल व्याप्त है। शासन को राजस्व की हानि हो रही है। शहर सोने व प्रापर्टी के व्यवसाय में शुद्धता तथा ईमानदारी के लिए प्रदेश में जाना पहचाना जाता है। निजी जमीन पर सीमांकन हेतु बनाई बाउंड्रीवाल व पक्की सड़कों को बगैर उचित कारण के तोड़ा जा रहा है। इससे प्रशासन को कोई लाभ नहीं हो रहा है। शासन के अनुसार निजी जमीन पर कोई भी निर्माण बिना अनुमति किया जाता है तो शासन द्वारा जुर्माना किया जाता है, लेकिन शहर में

सांसद गुमानसिंह डामोर को ज्ञापन सौंपकर चर्चा करते प्रापर्टी व्यवसायी। ●नईदुनिया

जनता पर एफआइआर दर्ज की जा रही है। नागरिकों ने सांसद से निवेदन किया कि गलत तरीके से की गई एफआइआर को निरस्त करवाई जाए तथा प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो शासन के नियम के अनुसार कार्रवाई कर रास्ता निकाला जाए। ज्ञापन का वाचन ऋषभ जैन ने किया। इस दौरान अनेक प्रापर्टी व्यवसायी मौजूद थे।

भानपुरा। जनपद शिक्षा केंद्र भानपुरा के तत्वावधान में विखंस्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में किया गया। नई.

नईदुनिया ५/१२/२१

गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर किशोर, विकास कस्तूरबा नगर, शर्मा अलकापुरी, रामदीन बरबड़ रोड से 100-100 रुपये, निखलेश कस्तूरबा नगर, चेतन अलकापुरी, रामू बरबड़ रोड से 50-50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी गई। इसके अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वाले 10 व्यक्तियों से 100-100 रुपये का स्पाट फाइन कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई। १६.

नईदुनिया ५/१२/२१

अमृतसागर तालाब के गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु पानी के सैम्पल लिए

प्रसारण न्यूज • रतलाम

अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के तहत गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु इंदौर से आये दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैम्पल लिये।

इंदौर की चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारें कोनें सहित एसडीआरएफ की मदद से बोट के जरिए तालाब के बीच में जाकर तालाब की गहराई नापी। तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट किये जाने हेतु टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दसौत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैम्पल लिया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृत सागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इस अवसर पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरविन्द दशोत्तर, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा आदि उपस्थित थे।

प्रसारण

प्रसारण ५/१२/२१

कॉलोनियों की खेती • प्रशासनिक सख्ती से है अवैध कब्जेधारियों में हड़कंप

अब सरकारी और धर्मस्थलों की जमीन दबाने वाले दबंगों की बारी

नोटिस देकर जवाब तलब के बाद कराएंगे मुक्त, केस भी होगा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अवैध कॉलोनी के बाद अब सरकारी और धार्मिक स्थलों की जमीन दबाकर बैठे भूमाफिया पर प्रशासनिक डंडा चलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है, अब तक हुई पड़ताल के बाद आठ कब्जेधारियों की सूची बन गई है। इनमें से कुछ ने कॉलोनी विकसित करना शुरू कर दिया है, तो कुछ कमर्शियल उपयोग के लिए बड़ा निर्माण कर लिया है। शुरुआती कार्रवाई करते हुए जवाब तलब के लिए नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। अगले सप्ताह जमीन दबाने के लिए किए गए कच्चे-पक्के निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। इतना ही नहीं अवैधानिक रूप से जमीन दबाकर बैठने वालों पर पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा।

प्रशासन के इस एक्शन से कब्जेधारी भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। अभी हल्का वार अतिक्रमण और कब्जेधारियों की जांच चल रही है। इसके पूरी होने के बाद कब्जेधारियों भूमाफियाओं की लिस्ट लंबी हो सकती है।

बता दें कि अक्टूबर, नवंबर में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 9 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को तोड़ा था। ये कॉलोनियों काटने वाले 15 कॉलोनाइजरों पर पुलिस प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया अवैध कॉलोनियां बनाने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की जांच चल रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन की लिस्ट में आठ नाम, पड़ताल जारी है...

प्रतापनगर और होमगार्ड रोड पर भी तीन अवैध कॉलोनियां

दो माह से लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बावजूद कुछ पर अब तक सरकारी अमले की नजर नहीं पड़ी है। ऐसी ही तीन कॉलोनियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंची है। इनमें से एक प्रतापनगर खाचरौद तिराहे पर माहेश्वरी प्रोटीन्स फेक्टरी की जमीन पर बन रही कॉलोनी है। फिलहाल इसका काम कुछ समय से बंद है, लेकिन कॉलोनाइजर ने कनेरी और धोलावड़ रोड की अवैध कॉलोनियों की तरह ही सीमेंट कांक्रीट की रोड बनाकर पोल गाड़कर प्लॉट काटे गए हैं। इसके अलावा दो अवैध कॉलोनियों होमगार्ड रोड की है। जानकारी मिलने के बाद जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी गई है। गड़बड़ी मिलने पर इन कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नोटिस जारी

छत्रीपुल नाले के पास वाली जमीन को लेकर प्रशासन कब्जेधारी को नोटिस जारी कर दिया है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। 2005 में हुए आदेश का हवाला देकर जमीन सुपुर्द करने के लिए वक्फ बोर्ड ने प्रशासन को आवेदन दिया था। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कब्जेधारी अजीत नामक व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कब्जेधारी ने जवाब के साथ दस्तावेज भी दे दिए हैं। अब उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

कार्रवाई रुकवाने के लिए सांसद की शरण में पहुंचे भूमाफिया के नुमांइदे

अवैध कॉलोनियों को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई से घबराए भूमाफियाओं ने बचने के लिए नुमांइदों को आगे कर दिया है। शुक्रवार को ऐसे ही प्रॉपर्टी व्यवसायी और नागरिकों कार्रवाई को रुकवाने के लिए सांसद जीएस डामोर की शरण में पहुंचे। उन्होंने विरियाखेड़ी में सांसद को ज्ञापन देकर बताया कि कुछ दिनों से प्रशासन और नगर निगम कृषि भूमि पर एक बिस्वा से ज्यादा के भूखंडों पर कार्रवाई कर रहा है। इससे प्रॉपर्टी बाजार को क्षति हुई है। निवेशकों में भय का माहौल है। निजी जमीन पर सीमांकन के लिए बनाई बनाई बाउंड्रीवॉल और पक्की सड़कों को बिना उचित कारण के तोड़ा जा रहा है। नियमानुसार निजी जमीन बिना अनुमति निर्माण करने पर जुर्माना किया जाता है, किंतु प्रशासन एफआईआर दर्ज करवा रहा है। प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने सांसद से एफआईआर निरस्त करने और कार्रवाई पर रोक लगाने मांग की है। ज्ञापन का वाचन ऋषभ जैन ने किया।

भास्कर

दै. भास्कर 5/12/21

सतर्कता : साथ रखना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

भास्कर संवाददाता | रतलाम

आप फिल्म देखने जा रहे हो, या कोचिंग अब आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना ही होगा। सिनेमाघर, मॉल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे- टू-व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने या बैठने वालों व शासकीय और निजी कार्यालयों, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट और मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। ये आदेश शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने शुक्रवार को रतलाम अनुभाग के लिए जारी किए हैं।

आज 100% दूसरा डोज लगाने की तैयारी

जिले में शनिवार को वैक्सीनेशन का महा अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर को 100% वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है। शनिवार को शहर में 11 स्थाई केंद्र रहेंगे। कुल 43 टीम वैक्सीनेशन में जुटेगी। दोपहर में 32 और रात को 18 टीम काम करेगी, शाम 5 बजे बाद भी वैक्सीनेशन रोका नहीं जाएगा। भास्कर

दै. भास्कर 5/12/21

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट और मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य

रतलाम। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए एसडीएम अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, ऑटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

राज एक्सप्रेस 5/12/21

–शहर में अब तक छह अवैध कालोनी मामलों में 14 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई

अवैध निर्माण मामले में दस पर धोखाधड़ी का केस

रतलाम। शहर में नगर निगम व नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमति लिए बगैर अवैध कालोनियों का निर्माण, काटेज व भूखंड विभाजित करने के मामले में प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन मामलों में पहले स्टेशन रोड व माणकचौक थाने पर पांच आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद नगर निगम ने अब चार मामलों में दस आरोपितों के खिलाफ दीनदयाल नगर थाने में एफआइआर कराई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 34 के तहत अलग-अलग चार मामले दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नगर निगम द्वारा भेजे प्रतिवेदनों में बताया गया था कि आरोपित राधाबाई पत्नी मनोहरलाल शर्मा, राकेश शर्मा पुत्र मनोहलाल शर्मा व विशाल शर्मा पुत्र मनोहरलाल शर्मा तीनों निवासी शुभम रेसीडेंसी कालोनी ने कनेरी रोड पर अवैध कालोनी का निर्माण कर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। 12 नवंबर 2021 को अवैध निर्माण हटाने के बाद निर्माण हटाने पर खर्च हुई राशि 45 हजार रुपये जमा कराने का नोटिस दिया था, लेकिन आज तक राशि जमा नहीं कराई गई। इसी प्रकार कनेरी रोड पर ही आरोपित शिवनारायण व अशोककुमार पत्र मांगीलाल राठौड़ निवासी रामगढ़ द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया था। राजस्व विभाग व पुलिस के संयुक्त दल ने 11 नवंबर को अवैध निर्माण हटाया था व 97 हजार 500 रुपये जमा कराने का नोटिस दिया था। उधर आरोपित आरोपित सुमित गांधी पुत्र बंशीलाल गांधी निवासी गुलमोहर कालोनी, राजेश कटकानी पुत्र बाबूलाल कटकानी निवासी पोरवाड़ों का वास, पंकज पुत्र शांतिलाल निवासी बाजना बस स्टैंड व अरुणा पितलिया पत्नी विजेंद्र पितलिया निवासी गुलमोहर कालोनी द्वारा धोलावड़ रोड पर अवैध रूप से भूखंडों को विभाजित कर अवैध कालोनी का निर्माण किया था। 13 नवंबर को अवैध निर्माण हटाकर, निर्माण हटाने पर खर्च हुई राशि 37 हजार 500 जमा कराने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई। वहीं आरोपित धन्नालाल पुत्र बालाराम पाटीदार निवासी कनेरी रोड ने भी कनेरी रोड पर बगैर अनुमति के भूखंड विभाजित कर अवैध कालोनी का निर्माण किया था। 12 नवंबर को अवैध निर्माण हटाकर 37 हजार 500 जमा कराने का नोटिस दिया था लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई। सभी आरोपितों पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

हम तो क्रेता हैं, विक्रेता को आरोपित नहीं बनाया। एफआइआर दर्ज होने के बाद शुक्रवार को एसपी गौरव तिवारी को सुमित गांधी व अन्य की ओर से दिए गए आवेदन में बताया कि उन्होंने तो कालोनी में जमीन क्रय की है। डेलवपर्स ने रजिस्ट्री कराई। क्रेता को आरोपित बनाए जाने की जानकारी मिलने पर एसपी ने दीनदयाल नगर टीआइ को निगम के प्रतिवेदन व दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। नई.

नईदुनिया 5/12/21

20 वर्ष सेवा, 50 वर्ष आयु के दायरे में निगम के अधिकारी भी

परफॉर्मेंस खराब होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बैठक संपन्न

रतलाम। रतलाम नगर निगम के कार्यों की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार को की गई। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। निगमायुक्त से पूछने पर बताया कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाई गई है लेकिन कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 20 वर्ष सेवा एवं 50 वर्ष आयु के दायरे में नगर निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को भी लाया जाकर सूचीबद्ध किया जाए। जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस खराब पाया जाएगा उनको 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष आयु के दायरे में लाया जाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

राजएक्सप्रेस ५/१२/२१

शहर रविवार तक हो जाएगा शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की

रतलाम (कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम शहर आगामी रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वर्तमान मे शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घर-घर टीमें जाएंगी। दुकानें चेक की जाएगी, दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। दुकान बंद की जाएगी, जुर्माना वसूल किया जाएगा। वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार संध्या की गई। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, महिला बाल विकास विभाग के श्री रजनीश सिन्हा आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा सिटी एसडीएम को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन टीमें काम में जुट जाएं। मोबाइल टीमें संचालित की जाए। रविवार तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। जिले के अन्य स्थानों में वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शुक्रवार को मात्र रतलाम शहर एवं पिपलोदा तथा रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक टीमें भेजकर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। पिपलोदा में 6 हजार 500 तथा रतलाम ग्रामीण में 20 हजार एवं रतलाम शहर में 2 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को जावरा में 20 हजार, आलोट में 15 हजार तथा बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र में 15 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। 5 दिसंबर को सैलाना में 8 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन अभियान में प्रत्येक सेंटर पर प्रात: 9 बजे तक टीमें पहुंच जाएं। नोडल अधिकारी सतत भ्रमण करते रहे। कम वैक्सीनेशन होने पर नोडल अधिकारी भी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।

खाद वितरण केंद्र प्रभारी निलंबित

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। अधिकारियों द्वारा सक्रियता के साथ सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण किए जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। उप संचालक कृषि द्वारा प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पीपलखूंटा का निरीक्षण किया गया। आंकड़े मिलान नहीं होने पर खाद वितरण केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान यूरिया उर्वरक का भौतिक स्टॉक तथा पीओएस मशीन के स्टॉक में अंतर पाया गया। इस कारण प्रभारी खाद्य वितरण केंद्र पीपलखूंटा श्री ईश्वरलाल कुमावत को निलंबित किया गया।

स्वतंत्र ऐलान ५/१२/२१

रविवार तक रतलाम में होगा शत-प्रतिशत टीकाकरण

रतलाम, नप्र। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम शहर रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वर्तमान मे शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार को टीका लगाने के लिए टीमे घर-घर जाएगी। दुकानें चेक की जाएगी। दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के पाए तो कार्रवाई कर दुकान बंद की जाएगी और जुर्माना वसूल किया जाएगा। कल शाम को वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने की।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, महिला बाल विकास विभाग के रजनीश सिन्हा आदि मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया तथा सिटी एसडीएम को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन टीमों को काम में जुटाकर मोबाइल टीमें संचालित की जाए। रविवार तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। जिले के अन्य जगहों पर की गई वैक्सीनेशन की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शुक्रवार को केवल शहर एवं पिपलौदा तथा रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही टीके लगाए जाएंगे।

पृ.क्र. 3

प्रभातकिरण 3/12/21

रतलाम शहर रविवार तक हो जाएगा शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड

रतलाम। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम शहर आगामी रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वर्तमान मे शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घर-घर टीमें जाएंगी। दुकानें चेक की जाएगी, दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। दुकान बंद की जाएगी, जुर्माना वसूल किया जाएगा। वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार संध्या की गई। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, महिला बाल विकास विभाग के रजनीश सिन्हा आदि उपस्थित थे। कलेक्टर द्वारा बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया तथा सिटी एसडीएम को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन टीमें काम में जुट जाए। मोबाइल टीमें संचालित की जाए। रविवार तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। जिले के अन्य स्थानों में वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शुक्रवार को मात्र रतलाम शहर एवं पिपलोदा तथा रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक टीमें भेजकर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। पिपलोदा में 6 हजार 500 तथा रतलाम ग्रामीण में 20 हजार एवं रतलाम शहर में 2 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को जावरा में 20 हजार, आलोट में 15 हजार तथा बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र में 15 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा।

इन्दौर समाचार 4/12/21

नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य परफॉर्मेंस को परखा जाएगा-कलेक्टर

रतलाम। नगर निगम के कार्यों की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। निगमायुक्त से पूछने पर बताया कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाई गई है लेकिन कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 20 वर्ष सेवा एवं 50 वर्ष आयु के दायरे में नगर निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को भी लाया जाकर सूचीबद्ध किया जाए। जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस खराब पाया जाएगा उनको 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष आयु के दायरे में लाया जाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अवन्तिका।

अवन्तिका। ५/१२/२१

आज घर-घर पहुंचेंगे दल, जो बचे हैं वो लगवा लें वैक्सीन

रविवार तक शहर को शत प्रतिशत वैक्सीनेट करने का लक्ष्य, विभाग ने कसी कमर

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना का पहला टीका लगवाने के बाद दूसरे टीके की समय सीमा पूरी होने के बाद भी टीका नहीं लगवाने वालों के लिए शनिवार को घर-घर जाकर टीका लगवाया जाएगा। शहर को 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड बनाए जाने के लिए शुक्रवार को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने निगम अधिकारी, इंजीनियर व वार्ड दरोगा, आंगनबाड़ी सुपरवाईजरों की बैठक ली।

बैठक में निर्देशित किया कि शनिवार को दल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रत्येक घर जाकर टीके से वंचित नागरिकों की जानकारी लेंगे। बचे.हुए लोगों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग आदि जो टीका लगवाने में अक्षम है उन्हे घर जाकर टीका लगाएं। सभी प्रातः 7 बजे से इस कार्य में जुट जाएं। इस दौरान मास्क लगाने की समझाइश भी दें।

एसडीएम गेहलोत ने कहा कि शनिवार को विशेष रूप से शहर के बाहरी क्षेत्रों, स्लम बस्तियों को चिन्हित कर टीकाकरण करवाएं। काम इस तरह करना है कि शनिवार को ही शहर पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाए। बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री जीके जायसवाल, उपयंत्री, जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।

शहर में 106 प्रतिशत को पहला व 90 प्रतिशत को लग चुका है दूसरा डोज : वैक्सीनेशन में रतलाम शहर में कुल 229178 लोगों को टीके लगाए जाना है। इसमें 244097 को पहला व 208229 को दोनों डोज लग चुके हैं। इस मान से 20949 लोगों को ही दूसरा डोज लगना बाकी है। जिले में कुल 1100912 के लक्ष्य में 838388 को दोनों टीके लग चुके हैं। जिले में बाजा विकासखंड में सबसे कम 55.39 प्रतिशत को ही दोनों डोज लगाए गए हैं।

सभी को रखना होगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट

वैक्सीनेशन को लेकर शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसमें शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर कर्मचारियों तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक चालकों, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वैक्सीनेसन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन, शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा।

तीसरी लहर की तैयारी में परखे मेडिकल कालेज के इंतजाम

जीपीगो की डा. पपित्रा सेन ने किया निरीक्षण

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जान्स हापकिन्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी स्वास्थ्य संगठन की टीम ने शुक्रवार को जिले में संभावित कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में तैयारियों व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया। जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज सहित अन्य संस्थाओं में सैंपलिंग, रिपोर्टिंग, आक्सीजन प्लांट एवं आक्सीजन की सप्लाई और सावधानियों को देखा। जीपीगो की डा. पवित्रा सेन ने मेडिकल कालेज में कोरोना से संबंधित तैयारियों को देखकर कहा कि प्रदेश के नए मेडिकल कालेजों में रतलाम सबसे व्यवस्थित सुविधाओं वाला है। यहां सुविधाएं एम्स जैसी है। बस इन्हे बनाए रखने की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान कोरोना उपचार से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों से समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

मालूम हो कि जीपीगो डब्ल्यूएचओ की तरह एक सस्था है, जो संभावित कोरो की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश में तैयारियों और जरुरतों को लेकर सर्व कर रही है। सर्व रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपने के बाद आगे के निर्णय होंगे साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नवाचारों व रोजमर्रा के अभ्यास में डालकर जीपी दुनिया की सबसे कमजोर आबादी के उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल लिए बाधाओं को तोड़ने का काम करत है। जिले के कोरोना नोडल अधिकारी गौरव बोरीवाल ने बताया कि जीपीगो टीम प्रदेश सरकार व हेल्थ विभाग को रिपोर्ट करेगी।

कोरोना मरीजों को भोजन-पानी की मेडिकल कालेज के डीन डा. जितेंद्र गु बताया कि मेडिकल कालेज के अस्पत में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों के भ और पानी की व्यवस्था को लेकर मांग की गई है। मेडिकल कालेज में अभी सुविधा नहीं है। कुछ आक्सीजन सिलि और बच्चों के उपचार के लिए वेंटीलेट वार्मर की मांग भी की है।

नईदुनिया ५/१२/२१

रतलाम शहर रविवार तक हो जाएगा शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड

कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम शहर आगामी रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वर्तमान मे शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घर-घर टीमें जाएंगी। दुकानें चेक की जाएगी, दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। दुकान बंद की जाएगी, जुर्माना वसूल किया जाएगा। वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार संध्या की गई। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, महिला बाल विकास विभाग के रजनीश सिन्हा आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया तथा सिटी एसडीएम को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन टीमें काम में जुट जाएं। मोबाइल टीमें संचालित की जाए। रविवार तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। जिले के अन्य स्थानों में वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शुक्रवार को

मात्र रतलाम शहर एवं पिपलोदा तथा रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक टीमें भेजकर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। पिपलोदा में 6 हजार 500 तथा रतलाम ग्रामीण में 20 हजार एवं रतलाम शहर में 2 हजा[र] वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद [4] दिसंबर को जावरा में 20 हजार, आलोट [में] 15 हजार तथा बाजना जनपद पंचायत क्षे[त्र] में 15 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। [5] दिसंबर को सैलाना में 8 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन अभियान में प्रत्येक सेंटर पर प्रातः 9:00 बजे तक टीमें पहुंच जाएं। नोडल अधिकारी सतत भ्रमण करते रहे। कम वैक्सीनेशन होने पर नोडल अधिकारी भी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

प्रसारण

प्रसारण 5/12/21

अमृतसागर तालाब के गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु पानी के सैम्पल लिए

रतलाम ● स्वदेश समाचार
अमृतसागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के तहत गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु इंदौर से आए दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैम्पल लिए।

इंदौर की चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारों कोनों सहित एसडीआरएफ की मदद से बोट के जरिये तालाब के बीच में जाकर गहराई नापी। तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट किए जाने हेतु टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दशोत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैम्पल लिया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृतसागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आए इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

इसके अलावा गढ़कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पथ-वे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाइटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकानें, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृतसागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।

स्वदेश 5/12/21

स्वच्छता प्रेमियों का सम्मान

धानमंडी क्षेत्र में व्यापारी का सम्मान करते हुए निगमकर्मी। ●नईदुनिया

रतलाम। किसी भी तरह का व्यापार करते समय, छोटे या बड़े व्यापारी बंधुओं को स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वे स्वयं अपनी दुकान/ प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता को महत्व दे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो रतलाम भी स्वच्छता के मामले में एक मिसाल कायम कर सकता है। अपनी दुकानों से निकले कचरे का निपटान संग्रहण वाहन में ही करें।

यह बात नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कही। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत शुक्रवार को शहर के चारों जोन अनेक वार्डों में स्थित दुकानों पर जाकर उन व्यापारीबंधुओं का सम्मान किया गया, जो अपने दुकान-प्रतिष्ठानों का कचरा अलग-अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही करते हैं। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने व्यापारियों का स्वागत तिलक लगाकर किया। इसके बाद फूलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त विकास सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जोन प्रभारी एपी सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे। नई.

नईदुनिया ५/१२/२१

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इन्दौर समाचार 5/12/21

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

अवन्तिका 5/12/21

इंदौर से आई टीम ने अमृतसागर तालाब से लिए पानी के सैम्पल

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के तहत गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु मंगलवार को इंदौर से आये दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैम्पल लिये। इंदौर की चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारों कोनों सहित एसडीआरएफ की मदद से बोट के जरिए तालाब के बीच में जाकर तालाब की गहराई नापी।

दलदल का भी सैंपल लिया

तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट किये जाने हेतु टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दसौत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैम्पल लिया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृत सागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है। इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इस अवसर पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरविन्द दसोत्तर, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा आदि उपस्थित थे। २१५

राज एक्सप्रेस ५/१२/२१

ज्ञापन देकर बताई अपनी परेशानी

कॉलोनियों में कार्रवाई से परेशान लोग सांसद से मिले

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम क्षेत्र में कृषि भूमि पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए नगर के विभिन्न लोगों के साथ प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने बिरियाखेड़ी में पहुंचकर सांसद गुमान सिंह डामोर से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। इनके द्वारा सांसद को दिए गए ज्ञापन में बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा कृषि भूमि पर एक विस्वा से ऊपर के टुकड़ों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है जिससे रतलाम प्रॉपर्टी बाजार को बहुत क्षति हुई है तथा शहर के निवेशकों में भय का माहौल व्याप्त है।

इस तरह की कार्रवाई से रतलाम की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है तथा शासन को राजस्व की हानि हो रही है। रतलाम शहर सोने व प्रॉपर्टी के व्यवसाय में शुद्धता तथा ईमानदारी के लिए प्रदेश में पहचाना जाता है। ज्ञापन में कहा गया कि निजी जमीन पर सीमांकन के लिए बनाई बाउंड्री वाल एवं पक्की सड़कों को बगैर उचित कारण के तोड़ा जा रहा है जिससे प्रशासन को कोई लाभ नहीं हो रहा है। शासन के अनुसार निजी जमीन पर कोई भी निर्माण बिना अनुमति किया जाता है तो शासन द्वारा जुर्माना किया जाता है लेकिन शहर में आमजन पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके द्वारा भी सांसद से निवेदन किया गया है कि गलत तरीके से की गई एफआईआर को निरस्त की जाए तथा प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो शासन के नियम अनुसार कार्रवाई कर रास्ता निकाला जाए। पत्रिका

पत्रिका 5/12/21

प्रसारण

नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के चलते रतलाम में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एव शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रसारण 5/12/21

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को 5 दिसम्बर तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी

रतलाम। खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।

प्रसारण 5/12/21

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को 5 दिसम्बर तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

इन्दौर समाचार 5/12/21

अमृतसागर तालाब के गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु पानी के सैम्पल लिये

रतलाम। अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के तहत गन्दे पानी के ट्रीटमेंट हेतु इंदौर से आये दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैम्पल लिये। इंदौर की चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारों कोनों सहित एसडीआरएफ की मदद से वोट के जरिए तालाब के बीच में जाकर तालाब की गहराई नापी।

तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट किये जाने हेतु टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दसौत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैम्पल लिया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृत सागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इस अवसर पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरविन्द दशोत्तर, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा आदि उपस्थित थे।

इन्दौर समाचार 5/12/21

अवैध कॉलोनी... फिर दस पर केस

रतलाम, नप्र। सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने अब अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला थाने में दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। कल फिर दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, पहले पांच के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की देखरेख में रतलाम जिले में प्रशासन की ओर से भू-माफिया और अवैध कॉलोनी काटने वालों की खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रतलाम शहर के अलावा जिले के नामली, जावरा और ताल में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर प्रशासन ने जेसीबी चलवाकर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई तो पूरी कर ली है। प्रशासन का मानना है कि इन लोगों ने लोगों को धोखे में रखकर कॉलोनी काटी है, जिस पर से अब ऐसे लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाने लगा है। ही स्टेशनरोड और माणकचौक थाना पुलिस ने हाल ही में पांच लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया था।

इसके अलावा दीनयालनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के अलग-अलग चार केस में कुल दस लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया है। दीनदयालनगर थाना पुलिस के मुताबिक वार्ड क्रमांक 22 में कनेरी रोड पर सर्वे क्रमांक 86/1 में धोखाधड़ी किए जाने के मामले में पुलिस ने नगर निगम के उपयंत्री ब्रजेश कुशवाह की रिपोर्ट पर शुभम रेसीडेंसी रहवासी एक महिला सहित दो अन्य के खिलाफ 420, 34 भादवि में अपराध दर्ज किया है। इसी वार्ड में कनेरी रोड के ही सर्वे क्रमांक 872/2 के मामले में भी उपयंत्री ब्रजेश कुशवाह की रिपोर्ट पर अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया है। धोलावाड़ रोड सर्वे क्रमांक 775/3, 775/4, 7/1/मिन-1, 776/2 पर भी अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के मामले में उपयंत्री ब्रजेश कुशवाह की रिपोर्ट पर ही चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ वार्ड क्रमांक 22 कनेरी रोड सर्वे क्रमांक 76/21/1/1 के मामले में धोखाधड़ी का अपराध कायम हुआ है।

प्र.की. 3

प्रभातकिरण 3/12/21